(116)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

कमांक:–प.3(619)नविवि / 3 / 2009 जयपुर, दिनांक: 22 APR 2011

परिपत्र

सोलर एनर्जी एवं विन्ड एनर्जी की कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं राज्य सरकार के स्तर पर अनुमति हेतु विचाराधीन होने पर सदस्य, सचिव द्वारा राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा समिति की 116 वीं बैठक दिनांक 6.4.2011 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव के संबंध में लिए गए निम्न निर्णय का राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20.4.2011 को अनुमोदन किया गया है :–

"मास्टर प्लान के परिधि नियंत्रण क्षेत्र / ग्रामीण क्षेत्र में उल्लेखित भू–उपयोग यथा ग्राम आबादी विस्तार, मोटल, कुक्कुट शालाएं, रिसोर्ट, फार्म हाउस, कृषि सेवा केन्द्र, अमूजेंट एवं थीम पार्क, ईंट भट्टा, चूना भट्टा, हाट बाजार, डेयरी आदि उनकी प्रकृति यथा न्यूनतम निर्मित क्षेत्रफल, अधिकतम भाग वातावरण मैत्री / खुला क्षेत्र आदि को दृष्टिगृत रखते हुए अनुज्ञेय किया गया है, परन्तु पूर्व में सोलर एनर्जी एवं विन्ड एनर्जी क्षेत्र का अत्यधिक प्रचलन नहीं होने के कारण सोलर एनर्जी एवं विन्ड एनर्जी को उक्त सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।

सोलर एनर्जी एवं विन्ड एनर्जी की परियोजनाओं की प्रकृति यथा न्यूनतम निर्माण एवं भूमि का अधिकतम भाग पर्यावरण मैत्री के रूप में खुला रहता है। इस तरह की परियोजनाओं को राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्राथमिकता दी जा रही है। शहरों के नगरीय क्षेत्रों में इस तरह की परियोजनाओं हेतु परिधि नियंत्रण क्षेत्र / ग्रामीण क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य विकल्प नहीं हैं।

अतः सभी शहरों के परिधि नियंत्रण क्षेत्र / ग्रामीण क्षेत्र में सोलर एनर्जी एवं विन्ड एनर्जी की परियोजनाओं को अनुज्ञेय करते हुए इस तरह की परियोजनाओं हेतु परिधि नियंत्रण क्षेत्र / ग्रामीण क्षेत्र में भू–उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी।"

इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्डपीठ द्वारा डी.बी.सिविल रिट पिटीशन (पीआईएल) संख्या 1554 / 2004 श्री गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 9.12.2010 के अध्यधीन भी सोलर एवं विन्ड एनर्जी परियोजनाओं को पैराफेरी बेल्ट में स्थापित करने की अनुमति मास्टर प्लान की शर्तों के अध्यधीन प्रदान की गई है।

अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि निकाय स्वयं के स्तर से उनको प्रदत्त अधिकारों के अध्यधीन मास्टर प्लान / मास्टर डवलपमेंट प्लान में दर्शित पैरीफेरी बैल्ट / ग्रामीण क्षेत्र में सोलर एनर्जी एवं विन्ड एनर्जी परियोजना स्थापित करने हेतु भू–उपयोग परिवर्तन को आवश्यक नहीं होने के कारण ऐसी परियोजनाओं के संबंध में स्वीकृति प्रदान करते हुए भूमि आवंटन कर सकती है।

उक्त निर्देश पूर्व में लम्बित एव भविष्य में प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकरणों पर लागू होंगे।

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

Goyal Hem. Jo/UDH Order/2011

(291)